झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः–राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर० एस० सी० सी० एल०) को आवंटित हिस्सा पूँजी की राशि बैंक खाता में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–261 (b) को शिथिल करने के संबंध में।

1714
22/03/18

राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखण्ड राज्य की राजधानी, राँची में मेसर्स एच० ई० सी० लिमिटेड की 656.30 एकड़ क्षेत्र पर ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में राँची स्मार्ट सिटी का विकास किया जाएगा।

इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या–4552 दिनांक–16.08.2016 के द्वारा राँची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन नामक विशेष योजना साधन (SPV) का गठन करते हुए उसकी प्रदत्त पूँजी (Paid-up-Capital) की सीमा 200.00 करोड़ रूपये कर दी गई है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–170 दिनांक–26.09.2017 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–171 दिनांक–26.09.2017 के द्वारा क्रमशः 10,00,00,000/– रूपये OSP में तथा 10,00,00,000/– रूपये TSP प्रक्षेत्रों में बतौर हिस्सा पूँजी राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को उक्त स्वीकृत हिस्सा पूँजी पी0एल0 खाते में संधारित है। पी0एल0 खाते में राशि संधारित होने के कारण कम्पनियों को अपने दैनन्दिनी कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा कम्पनी ससमय अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है।

उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (64) के तहत सरकार की हिस्सा पूँजी प्रदत्त तब मानी जाएगी, जब यह राशि उक्त कम्पनी के खाते में अंतरित हो जाए।

3. पी0एल0 खाते से बैंक खाते में हिस्सा पूँजी रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम–261 (b) में वर्णित प्रावधान 'Money withdrawn as grant-in-aid will not be kept in bank account but as a personal deposite account in the specified treasury' को शिथिल करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के दैनन्दिनी कार्य निष्पादन की कठिनाई को दूर करने एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(64) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को समय–समय पर आवंटित हिस्सा पूँजी की समस्त राशि बैंक खाते में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–261 (b) के प्रावधान को शिथिल करते हुए अनुमति प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव पर दिनांक–15.02.2018 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22.3.18

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D-Rahul_rk_sankalp 128

ज्ञापांक– RSCCL/Paid Cap/84/2017.....1714..... राँची,दि०–22/03/18

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– RSCCL/Paid Cap/84/2017.....1714..... राँची,दि०–22/03/18

प्रतिलिपि :–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड, राँची/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

K.K.Jha

D-Rahul_rk_sankalp 129